UPUN010016782025

Bail Application/684/2025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एस0सी0,एस0टी0ऐक्ट)/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–2, उन्नाव

1. छोटू निषाद पुत्र टीकाराम निषाद निवासी ग्राम कुलवा थाना सफीपुर जिला उन्नाव।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

1. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा डी.जी.सी. क्रिमिनल महोदय उन्नाव।

2. श्रीमती गुड्डी पासी पत्नी निरंजन पासी निवासी ग्राम फतेपुर पोस्ट शंकरपुर सरायं थाना गंगाघाट जिला उन्नाव।

.....विपक्षीगण

मु.अ.सं.- 91/2024
धारा- 354 ख, 323, 504, 452 भा.दं.सं.
धारा- 3(1)क एस.सी.एस.टी.एक्ट
थाना गंगाघाट, जिला उन्नाव।

प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र

दिनांक- 07.03.2025

प्रार्थी/अभियुक्त यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त छोटू निषाद की ओर से मु.अ.सं.- 91/2024, धारा- 354 ख, 323, 504, 452 भा.दं.सं., धारा- 3(1)क एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना गंगाघाट जिला उन्नाव में प्रस्तुत किया गया है।

आवेदक/अभियुक्त उक्त धाराओं के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में निरुद्ध है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थिनी गुड्डी पासी पत्नी श्री निरंजन पासी निवासिनी ग्राम फत्तेपुर पोस्ट शंकरपुर सराय थाना कोतवाली गंगाघाट जनपद उन्नाव की निवासिनी हूँ तथा दिनाक 20.12.2023 रात में प्रार्थिनी अपनी बूढी व कैंसर पीडित मां श्रमती केशवनी पासी के साथ कटरी हरिहरपुर गैर ऐहतमाली प्रखर राज महराज स्कूल के सामने खेत मे ही एक कमरा बना है तथा गेहूँ व लाही की फसल लगी है मेरे पिता की मृत्यु दिनांक 7/12/2023 को हो गयी थी जिस कारण फसल को जानवरों से बचाने के लिए प्रार्थिनी अपनी मां के साथ फसल की रखवाली के लिये गयी थी तभी अचानक रात केस मय परसू निषाद पुत्र बाबूराम निवासी ग्रा० कुलवा सफीपुर उन्नाव व मनोज निषाद पुत्र राधेलाल निवासी वाजिदपुर कानपुर नगर व छोटू निषाद पुत्र टीकाराम निषाद निवासी ग्राम ० कुलवा उन्नाव एवं महेश निषाद पुत्र खुम्मन निवासी चम्पापुरवा उन्नाव व चार पांच अचानक लोग हमारी मां और हमे गन्दी गन्दी गाली देने लगे हम और मां ने जब मना किया तो महेश निषाद ने मां को धक्का मार के गिरा दिया और कहने लगा साली पासिन मादरचोद तुम लोगों कोई नहीं बचा पायेगा मेरे कपडे फाड दिये और निवस्त्र कर दिया लाज शरम से मै एक कोने मे बैठ गयी परसू और मनोज ने हमारे साथ बलात्कार किया फिर छोटू, महेश निषाद, मनोज निषाद परसू निषाद चारों ने मुंह पर पेशाब किया और मां हमे गन्दी-2 गाली देते हुए

गये कमरे मे बडी टार्च जल रही थी जिससे हमने इन्हे पहचाना अतः हमे न्याय दिलाया जाये आप की महान दया होगी इन लोगों से हमारी जान को भी खतरा है अतः हमारी सुरक्षा करने की कृपा करें

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा आधार जमानत में कथन किया है कि प्रार्थी को उपरोक्त मुकदमें में झूठा व रंजिशन फंसाया गया है। घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नही है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में काफी विलम्ब है वादिनी की ओर से इसका स्पष्टीकरण नही दिया गया है। वादिनी व प्रार्थी के मध्य जमीनी रंजिश है इस कारण प्रार्थी के उपर झूठा मुकदमा लिखवाया गया है। प्रार्थी के द्वारा कोई अपराध कारित नही किया गया है। प्रार्थी की ओर से पैरवा करने वाला नही है। प्रार्थी जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगे बाद जमानत प्रार्थीगण न तो कहीं भागेगे और न ही गवाहान सबूत पर बेजा असर डालेगे तथा समय से हाजिर अदालत आते रहेगे। अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि प्रार्थीगण को दौरान विचारण मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा करें।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक के द्वारा जमानत प्रार्थना-पत्र का घोर विरोध करते हुये कथन किया गया कि अभियुक्त के द्वारा कारित अपराध अत्यन्त गम्भीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना-पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

वादिनी को नोटिस तामील होकर प्राप्त है। वादिनी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त का अपराधिक इतिहास प्रस्तुत कर जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रस्तुत प्रकरण में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है। एस.सी.एस.टी. की धारा को छोड़कर कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धारा सात वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है। अभियुक्त दिनांक 01.03.2025 से जिला कारागार उन्नाव में निरूद्ध है। अतः मामलें के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त छोटू निषाद की ओर से मु.अ.सं.- 91/2024, धारा- 354 ख, 323, 504, 452 भा.दं.सं., धारा- 3(1)क एस.सी.एस.टी.एक्ट, थाना गंगाघाट जिला उन्नाव में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना-पत्र निम्नलिखित शर्तो के अधीन स्वीकार किया जाता है।

1. अभियुक्त स्वयं एवं जरिये अधिवक्ता विचारण में उपस्थित रहकर न्यायालय की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।
2. अभियुक्त परिवादी एवं गवाहों को दौरान विचारण डरायेगे, धमकायेगे नही और न ही कोई प्रलोभन देगे।
3. अभियुक्त द्वारा 20,000/- (बीस हजार रूपये) का स्वबंध पत्र एवं इसी समान धनराशि की दो प्रतिभू न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दि. 07.03.2025

(डॉ. सत्यवान सिंह)
विशेष न्यायाधीश (एस.सी.एस.टी. ऐक्ट)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं-2
उन्नाव।